

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

5

अज अदालत
इजलास

उपरवण्ड अधिकारी मुकाम येदामीम केम्प-महमदपुर
पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य P.S.D
उजवान

गिमासिंह
मोमप्रकाश
खमपसिंह
गुक्ति बेवा रघुवीर
जितेन्द्र पुत्र रघुवीरसिंह
विन्दू पुत्र रघुवीरनां बालिका जिरिये
तामुक्ति देवी पाणि रघुवीरसिंह
रूपान्ति पाणि महाराजसिंह
बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

बनाम

1 सियाराम पुत्र अंगड
2 शिवसिंह (3) विजेन्द्र
4 शैरसिंह (5) कप्तानसिंहकि
सियाराम सभस्त आति शूजर
बिवासी महमदपुर तहण येदामीम
3 तहसीलदार येदामीम करौली
1 शाखा प्रबन्धक P.N.D शाखा महु करौली
2 शाखा प्रबन्धक P.D शाखा महु तहण येदामीम
मुकदमा नं० 63 / सन् 2013 करौली

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबई


श्री हंसराम शूजर A.S. - व हाजिरी
मिनकानिब गुदई खबर हजोर

निब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

कादीगण का दावा डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण
को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता
है कि गाम महमदपुर का भूमि ख. नं. 84/21 पा. म.
वादीगण के कहजे काश्त में किसी भी प्रकार से भजामहत
मुदाखलत नहीं करे तथा कादीगण को शांति पूर्वक काश्त
करे जेके।

मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय
रह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक
का अदा करे।

दिखाखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 - 7 - 2015
को जारी की गई।



मुहर

दिखाखत उप जिला कलेक्टर
ओहदा येदामीम (करौली)

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
अदालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
जह सबूत			महन्ताना वकील		
वकील			खर्चा गवाहान		
महान			फीस कमिशनर		
मेशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
मराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।